

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 01/प्रेसनोट/2021

दिसम्बर - 01 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-मेहनाजपुर

एक अदद देशी तमंचा 303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक (नगर), व क्षेत्राधिकारी लालगंज महोदय के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 01.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक सुनील चन्द तिवारी मय हमराह के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित व रोकथान जुर्म जरायम मेहनाजपुर कस्बा में मामूर थे कि उ.नि. अतीक अहमद मय हमराही का. अनुपम पटेल मिले तथा आपस में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के धर पकड के बारे में बातचीत कर ही रहे थे कि जरिये मुखविर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसके पास अवैध असलहा है जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए बरवा नहर पुलिया के पास खडा होकर अपने किसी और साथी के आने का इन्तजार कर रहा है इस सूचना पर विश्वास करके मुखविर खास को साथ लेकर बरवा नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर जा रहे थे कि बरवा नहर के पास एक व्यक्ति खडा दिखाई दिया उस खडे व्यक्ति को देखकर मुखविर खास ने बताया कि वह वही व्यक्ति खडा है कि वाहन को वही रुकवाकर पुलिस टीम उतरी मुखविर वहां से हट बढ गया पुलिया के पास खडा व्यक्ति पुलिस को देखकर ग्राम शाहपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगा कि रास्ते पर ही करीब 50 कदम भागते भागते हमराहीगण की मदद से उस व्यक्ति को पकड लिया गया। पकडे गए व्यक्ति का नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपना नाम अंकित सिंह उर्फ अश्वनी सिंह S/O स्व. दिवाकर सिंह ग्राम दानी का पूरा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा यह भी बताया कि साहब मै कट्टा और कारतूस लिया हूँ इसलिए मै डरकर भाग रहा था लेकिन आप लोगो ने मुझे पकड लिया बताते हुए अपने बाए कमर में खुसे हुए एक कट्टा व पहने हुए पैंट की दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस दिया कट्टे को खोलकर देखा गया जो चालू हालत में 303 बोर का देशी कट्टा है पकडे गए व्यक्ति से कट्टा व कारतूस रखने का अधिकार पत्र माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। पकडे गए व्यक्ति का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 A.ACT का दण्डनीय अपराध है अभियुक्त को अपराध का बोध कराकर समय करीब 8.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त :

अंकित सिंह उर्फ अश्वनी सिंह S/O स्व. दिवाकर सिंह ग्राम दानी का पूरा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद देशी तमंचा 303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर

पंजीकृत अभियोग -

मु.अ.सं.01/2021 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. एन.सी.आर.नं.61/16 धारा 323,504,506, थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. एन.सी.आर.नं.74/20 धारा 323,504 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
3. मु.अ.स.1250/17 धारा 147,148,149,307,41,411,414,419,420,467,468,471,504 भा.द.वि. थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
4. मु.अ.स.1252/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
5. मु.अ.स.213/19 धारा 307,34 भा.द.वि. थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
6. मु.अ.स.216/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. SHO सुनील चन्द्र तिवारी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. उ.नि. अतीक अहमद थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
3. का. मनोज कुमार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
4. का. योगेन्द्र पाल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
5. अनुपम पटेल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त ऋषिकेश पुत्र रामबृक्ष सा0 वृजमनी थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा थाना महाराजगंज क्षेत्र की वादिनी की पुत्री को घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करना व उसके प्राइवेट पार्ट को छूने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 303/20 धारा 376, 511 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2021 को SI मय हमराही कर्मगण के थाने से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, पेंडिंग विवेचना, तलाश वारंटी तलाश वांछित व विवेचना हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ऋषिकेश पुत्र रामबृक्ष सा0 वृजमनी थाना महाराजगंज आजमगढ़ देवनपुर पेट्रोल पम्प के पास मौजूद हैं, कहीं जाने की फिराक में खड़ा है, सूचना पर उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते देवनपुर पेट्रोल पम्प के पास आये जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया पुलिस द्वारा खड़े व्यक्ति को एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम ऋषिकेश पुत्र रामबृक्ष सा0 वृजमनी थाना महाराजगंज आजमगढ़ बताया। पकड़े गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 376, 511 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 11.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 303/20 धारा 376, 511 IPC व3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

ऋषिकेश पुत्र रामबृक्ष सा0 वृजमनी थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में SI राजेन्द्र प्रसाद, का0 कलामुद्दीन, का0 सोनू

थाना- बरदह

25 ली0 कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक (नगर), व क्षेत्राधिकारी लालगंज महोदय के कुशल निर्देशन में दिनांक 31.12.2020 को उप निरीक्षक मो0 आसिफ मय हमराही के थाना हाजा से रवाना होकर दुबरा नहर पर चेंकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान उप निरीक्षक शमशाद अली व HG रमाकान्त राय उपस्थित आये कि पुलिस टीम अपराध व आपराधियों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि मुखबीर खास ने आकर सूचना दी कि कुछ लोग देवेन्द्र राय के ईट के भट्टा जो बन्धवा महादेव मन्दिर के पास है पर कच्ची शराब निकाल रहे हैं भट्टी जल रही है। सूचना पर विश्वास करके आसनाये राह से मुखबीर के बताये हुए रास्ते से मुखबीर को साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। जंगल में खेतों के पास मुखबीर ने एक भट्टा की ओर इशारा करते हुए बताया कि इसी भट्टा के आखिर में दक्षिण दिशा में भट्टी पर कच्ची शराब कुछ लोग तोड़ रहे हैं। मुखबीर एक झोपड़ी की ओर

इशारा करके चला गया तथा उपनिरीक्षक द्वारा हमराह कर्मचारीगणों को उस झोपड़ी को घेरने के लिए कहा गया और चारों घेरकर झोपड़ी की तरफ आगे बढ़े और पास आकर सब लोग ईट की दीवार की आड़ से झाककर देखा तो दो व्यक्ति ईट मिट्टी का बना चूल्हा में कोयला व लकड़ी जला रहे थे। चूल्हों पर दो कनस्टर (पीपा) में द्रव्य से भाप उड़ रही थी और दोनों कनस्टरों (पीपा) में प्लास्टिक में प्लास्टिक की पतली पाईप लगी थी जो अलग 2 पिपियों में पाईप पड़ी थी आस पास कच्ची शराब की गन्ध आ रही थी अब पुरा विश्वास हो गया कि यह दोनों व्यक्ति कच्ची शराब तोड़ रहे हैं। तब एक वारगी दविश देकर दोनों व्यक्तियों को समय करीब 21.30 बजे पकड़ लिया। दोनों व्यक्तियों से नाम पता पुछते हुए जमा तलाशी ली गयी तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः जैतू S/O छट्टू उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम तुन्गी रसुलपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ तथा दूसरे ने अपना नाम शिव आसरे S/O श्री लोचन राजभर निवासी ग्राम तुन्गी रसुलपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ बताया तथा मौके से कच्ची शराब बनाने के उपकरण क्रमशः दो कनस्टर (पीपा) में द्रव्य भरा पाईप लगा तथा कीप लगी मौके पर मिले जो भट्टी पर आग के उपर रखे थे तथा दो प्लास्टिक की पिपीया में आधी2 भरी हुई पाँच लीटर वाली मिली तथा पास में ही एक प्लास्टिक की पिपीया 20 लीटर वाली में पूरी भरी हुई जिसमें द्रव्य भरा है बरामद हुई तथा दो इल्युमिनियम का पतीली भी बरामद हुई तथा लगभग 350 लीटर लहन अलग टीनो व प्लास्टिक की बाल्टियों में भरा मौके पर नष्ट किया गया। बरामद कुल शराब 25 ली0 है पकड़े गये उपरोक्त व्यक्तियों से कच्ची शराब बनाने का लाइसेन्स तलब किया गया तो लाइसेन्स नहीं दिखा सके और माफी मागने लगे कच्ची शराब बनाने के बारे में कड़ाई से पूछा तो उपरोक्त दोनों के द्वारा बताया गया कि हम लोग भट्टा मालिक देवेन्द्र राय और उनके मुनीब की सहमती से भट्टी लगाकर शराब तोड़ते हैं जिसे भट्टे के लेबर को और बाहर भी बेचते हैं हम लोग गुड का लहन तैयार कर कच्ची शराब तोड़ते हैं अभियुक्तों को उनके जुर्म धारा 62(2) आबकारी अधिनियम से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। चूकि गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि कच्ची शराब तोड़ने/निकालने का कार्य भट्टा मालिक देवेन्द्र राय व भट्टे के मुनीब की सहमती से किया जा रहा है इस लिए भट्टा मालिक देवेन्द्र राय व मुनीब द्वारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अपराध को करने के सहयोग किया जा रहा है इसलिए भट्टा मालिक व मुनीब के विरुद्ध धारा 60(2) आबकारी अधि0 के अतिरिक्त धारा 120B IPC के भी अपराधी हैं तथा दो प्लास्टिक की पिपीया में आधी2 भरी हुई पाँच लीटर व एक प्लास्टिक की पिपीया 20 लीटर वाली में पूरी भरी हुई जिसमें द्रव्य भरा है। बरामद हुई तथा दो इल्युमिनियम का पतीली भी बरामद हुई तथा लगभग 350 लीटर लहन अलग टीनो व प्लास्टिक की बाल्टियों में भरा मौके पर नष्ट किया गया बरामद कुल शराब 25 ली0 है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. जैतू S/O छट्टू उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम तुन्गी रसुलपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़
2. शिव आसरे S/O श्री लोचन राजभर निवासी ग्राम तुन्गी रसुलपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़

बरामदगी-

दो प्लास्टिक की पिपीया में आधी2 भरी हुई पाँच लीटर व एक प्लास्टिक की पिपीया 20 लीटर वाली में पूरी भरी हुई जिसमें द्रव्य भरा है। बरामद हुई तथा दो इल्युमिनियम का पतीली भी बरामद हुई तथा लगभग 350 लीटर लहन अलग टीनो व प्लास्टिक की बाल्टियों में भरा मौके पर नष्ट किया गया बरामद कुल शराब 25 ली0 है

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 -01/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 120 B IPC

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मो0 आसिफ व उ0नि0 शमशाद अली मय हमराही का0 संतोष यादव , का0 अरविन्द पाल हो0गा0 रमाकान्त राय

थाना जहानागंज

चोरी के अभियोग में एक नफर अभियुक्त व एक नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 31.12.2020 को ओमप्रकाश यादव पुत्र सन्ता यादव सा0 पेवठा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर मे छत के सहारे घर मे प्रवेश कर वादी मुकदमा की आलमारी मे रखा पायल , बिछिया व अंगूठी व पांच हजार रूपया चुरा लेने के सम्बन्ध मे दाखिल किया की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 296/20 धारा 457.380 भादवि बनाम 1- पूजा यादव पुत्री नन्द किशोर उर्फ टुन्नू यादव ग्राम पेवठा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ 2-जय प्रकाश यादव पुत्र चन्द्रिका यादव ग्राम समरूआ थाना हलधरपुर जिला मऊ व एक व्यक्ति और नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 01.01.2021 को **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह** के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे मु0अ0सं0 296/20 धारा 457 ,380 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता 1- पूजा यादव पुत्री नन्द किशोर उर्फ टुन्नू यादव ग्राम पेवठा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ 2- जय प्रकाश यादव पुत्र चन्द्रिका यादव ग्राम समरूआ थाना हलधरपुर जिला मऊ को ग्राम मुस्तफाबाद (भुजही तिराहा)थाना जहानागंज जनपद आजमगढ से समय करीब 11.30 बजे से गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोतरी की गयी । अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 296/20 धारा 457.380 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- पूजा यादव पुत्री नन्द किशोर उर्फ टुन्नू यादव ग्राम पेवठा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ
- 2- जय प्रकाश यादव पुत्र चन्द्रिका यादव ग्राम समरूआ थाना हलधरपुर जिला मऊ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 रमेश कुमार पटेल
- 2- हे0का0 अरविन्द यादव
- 3- का0 संदीप वर्मा
- 4- म0का0 साधना सिंह
- 5- म0का0 पूजा परिहार

थाना जहानागंज

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.09.2020 को वादीनी श्रीमती समा परवीन पत्नी अबु राफे उर्फ मुस्फीक पुत्री मुज्जमिल ग्राम मन्दे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज की मांग करना न देने पर प्रताडित करना व पति द्वारा तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर तलाक दे देना व मारना पीटना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध थाना स्थानी पर मुकदमा अपराध संख्या 211/20 धारा 498ए 323. 506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट व मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारो की सुरक्षा) आध्यादेश की धारा 3 और 4 बनाम 1-अबू राफे उर्फ मुसफीक पुत्र अशफाक (पति) 2- नौसबा पत्नी असफाक (सास)3- जरीन पुत्री असफाक 4- नेहा पुत्री असफाक नि0गण ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 01.01.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में मु0अ0स0 211/20 धारा 498ए 323. 506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट व मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश की धारा 3 और 4से सम्बन्धित वाञ्छित अभियुक्त अबु राफे उर्फ मुस्फीक पुत्र अशफाक ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ हालपता मोहल्ला बाज बहादुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को ब्लाक तिराहा जहानागंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:-अबु राफे उर्फ मुस्फीक पुत्र अशफाक ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ हालपता मोहल्ला बाज बहादुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष बदरियाफ्त जुर्म इकबाल कर बता रहा है कि मेरी पत्नी समा परवीन पुत्री मुजम्मील ग्राम मन्दे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बहुत ही झगड़ालू किस्म की महिला है आय दिन मुझसे व मेरी माता व बहनो से विवाद करती रहती थी इस लिये मैं नाराज होकर दिनांक 22.9.20 को अपनी पत्नी को उसके चाचा शमशेर व उनके साथ आये मो0 इरशाद के समक्ष तलाक. तलाक.तलाक कह कर विवाह विच्छेद कर दिया साहब गलती हो गयी मुझे माफ कर दे।

पंजीकृत अभियोग:-

211/20 धारा 498ए 323. 506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट व मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश की धारा 3 और 4

गिरफ्तार अभियुक्त:-

अबु राफे उर्फ मुस्फीक पुत्र अशफाक ग्राम जमालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ हालपता मोहल्ला बाज बहादुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 बाके बहादुर
- 2- हे0का0 रामअवध यादव
- 3- का0 प्रमोद यादव